INDIAN POLITY

SAFALTA CLASS

Draft committee

The drafting committee was formed on August 29, 1947 and was tasked with drafting the new constitution.

The committee had seven members:

1. Dr. BR Ambedkar (Chairman)
2. N. Gopalaswamy Iyengar
3. Dr. Kashmir M. Munshi
4. TT Krishnamachari
5. Syed Mohammad Sadulla
6. N. Madhav Rao
7. Alladi Krishnaswamy Iyer

मसौदा समिति

मसौदा समिति को प्रारूप समिति भी कहा जाता है. इसका गठन 29 अगस्त, 1947 को किया गया था और नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था.

समिति के सात सदस्य थे:

1. डॉ बी आर अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. एन गोपालस्वामी अय्यंगर
3. डॉ कश्मीर एम मुंशी
4. टी टी कृष्णमाचारी
5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला
6. एन माधव राव
7. अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

The first draft of the constitution was published in February 1948. People discussed this draft for eight months. After discussion, suggestions and proposed amendments were considered and a second draft was prepared by the Assembly. The second draft was published in October 1948. The draft committee had discussed for a total of 141 days and took at least six months to prepare the draft.

संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था. लोगों ने इस मसौदे पर आठ महीने तक चर्चा की थी. विचार विमर्श के बाद, सुझावों और प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया गया और एक दूसरा मसौदा विधानसभा द्वारा तैयार किया गया था. दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था. मसौदा समिति ने कुल 141 दिनों तक चर्चा की थी और मसौदे को तैयार करने में कम से कम छह महीने का समय लिया था.

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

The time for enactment and enforcement of the Constitution was on 26 November 1949 and 26 January 1950 respectively. However, the proposal for some parts was implemented only on 26 November 1949 '. The rest of the provisions were gradually implemented in later periods

संविधान के लागू होने और प्रवर्तन होने का समय क्रमशः क्रमशः, 26 नवंबर, 1949 और 26 जनवरी 1950 को था. हालांकि, कुछ भागों के प्रस्ताव को 26 नवम्बर 1949' को ही लागू कर दिया गया था. बाकी के प्रावधानों को बाद के काल में क्रमशः लागू किया गया था

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

1. Committee on Procedure Rules, headed by * Rajendra Prasad. *
2. Steering Committee, * Chairman- Rajendra Prasad. *
3. Finance and Staff Committee, * Chairman- Rajendra Prasad. *
4. Committee on Credentials, * Chairman - Alladi Krishnaswamy Iyer. *
5. Housing Committee, * Chairman-B. Pattabhi Sitaramaiya. *
6. Committee on Steering, * Chairman-KM. Munshi. *
7. National Flag Committee * Chairman- Rajendra Prasad. *
8. Committee on the functioning of the Constituent Assembly, * Chairman - G.V. Mavalankar. *

1.प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, जिसके *अध्यक्ष-राजेन्द्र प्रसाद।*
2. संचालन समिति, *अध्यक्ष-राजेन्द्र प्रसाद।*
3. वित्त एवं स्टाफ समिति, *अध्यक्ष-राजेन्द्र प्रसाद।*
4. प्रत्यय-पत्र संबंधी समिति, *अध्यक्ष-अलादि कृष्णास्वामी अय्यर।*
5. आवास समिति, *अध्यक्ष-बी. पट्टाभि सीतारमैय्या।*
6. कार्य संचालन संबंधी समिति, *अध्यक्ष-के.एम. मुन्शी।*
7.राष्ट्रीय ध्वज समिति *अध्यक्ष-राजेन्द्र प्रसाद।*
8. संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति, *अध्यक्ष-जी.वी. मावलंकर।*

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

9. Committee on States, * Chairman-Jawaharlal Nehru. *
10. Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas, * Chairman- Sardar Vallabhbhai Patel. *
11. Sub-Committee on Fundamental Rights, * Chairman- J.B. Kripalani. *
12. Subcommittee on North East Frontier Tribal Areas and Assam's Excluded and Partially Excluded Areas, * Chairman-Gopinath Bardoloi. *
13. Subcommittee on Excluded and Partially Excluded Areas (except areas of Assam), * Chairman-AV. Thakkar. *
14. Committee on Federal Powers, * Chairman-Jawaharlal Nehru. *
15. Federal Constitution Committee, * Chairman-Jawaharlal Nehru. *

9. राज्यों संबंधी समिति, *अध्यक्ष-जवाहरलाल नेहरू।*

10. मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति, *अध्यक्ष-सरदार वल्लभभाई पटेल।*
11. मौलिक अधिकारों संबंधी उप-समिति, *अध्यक्ष-जे.बी. कृपलानी।*
12. पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आसाम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति, *अध्यक्ष-गोपीनाथ बारदोलोई।*
13. अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों (असम के क्षेत्रों को छोड़कर) संबंधी उपसमिति, *अध्यक्ष-ए.वी. ठक्कर।*
14. संघीय शक्तियों संबंधी समिति, *अध्यक्ष-जवाहरलाल नेहरु।*
15. संघीय संविधान समिति, *अध्यक्ष-जवाहरलाल नेहरु।*

- Members of the Constituent Assembly were elected by the elected members of the Assemblies of the States of India.
- Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abul Kalam Azad etc. were the prominent members of this assembly.
- This Constituent Assembly debated 114 days in 2 years, 11 months, 18 days.

- संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे।
- पं0 जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे।
- इस संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

- The original constitution of India has only 395 Articles.
- At present, the Indian Constitution has 12 schedules and 22 parts.
- The original Constitution of India had eight schedules, but currently the Indian Constitution has twelve schedules.

- भारत के मूल संविधान में केवल 395 अनुच्छेद ही है।
- वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची और 22 भाग है
- भारत के मूल संविधान में आठ अनुसूचियाँ थी परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में बारह अनुसूचियाँ है

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

- A total of 12 conventions were held in the Constituent Assembly and 284 members signed it on the last day
- 166-day meeting was held to form the constitution and the press and public were free to participate in its meetings. the Constituent Assembly passed
- on 26 November 1949 and it was implemented on 26 January 1950.

- संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया
- संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी।
- नवम्बर 1949 को सविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Sources of the Constitution - The Indian Constitution has borrowed provisions from various countries and amended them in terms of suitability and needs of the country. The structural part of the Constitution of India is derived from the Government of India Act, 1935. Provisions such as the parliamentary system of government and rules of law are derived from the United Kingdom.

संविधान के स्रोत– भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए हैं और देश की उपयुक्तता और जरुरतों के लिहाज से उसमें संशोधन किया है। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान यूनाइटेड किंग्डम से लिए गए हैं।

The constitution of India

The Constitution documents the beliefs and aspirations of people with special legal sanctity. All other laws and customs of the country have to be followed to be valid. The Constitution of India came into force on 26 January 1950 with 395 Articles, 8 Schedules and 22 Parts. It is the most detailed written constitution in the world. Presently, the Constitution of India is 465 articles written in 25 parts and 12 schedules. Many amendments have been made to the constitution from time to time. For example, many changes were made by the 42nd Amendment Act, 1976.

भारत का संविधान

संविधान विशेष कानूनी शुचिता वाले लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। देश के बाकी सभी कानून और रीति– रिवाजों को वैध होने के लिए इसका पालन करना होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचि और 22 हिस्से थे। यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। वर्तमान में, भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। समय– समय पर संविधान में कई संशोधन किए गए हैं। जैसे, 42 वें संशोधन अधिनियम,1976 द्वारा कई बदलाव किए गए।

SAFALTA CLASS
मरउजाला

The features borrowed from the constitution of different countries are as follows:

from the UK

- Nominal Head - President (eg Queen of Britain)
- Cabinet system of ministers
- Prime Minister's post
- Parliamentary Type of Government
- Two house parliament
- More powerful lower house

Council of Ministers to be responsible to the lower house

- Speaker in Lok Sabha

विभिन्न देशों के संविधान से उधार ली गईं विशेषताएं इस प्रकार हैं–

ब्रिटेन से

- नाममात्र का प्रमुख– राष्ट्रपति (जैसे ब्रिटेन की महारानी)
- मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली
- प्रधानमंत्री का पद
- सरकार का संसदीय प्रकार

दो सदन वाली संसद

अधिक शक्तिशाली निचला सदन

- मंत्रि परिषद का निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होना
- लोकसभा में अध्यक्ष

SAFALTA CLASS

From america

- Written constitution

The acting head of the country called the President and will be the supreme commander of the military forces

- Vice-President as the ex-officio President of Rajya Sabha
- Fundamental Rights
- Supreme court
- Provision of states
- Judiciary and independence of judicial review
- Preface
- Removal of Supreme Court and High Court Judges

अमेरिका से

- लिखित संविधान
- देश का कार्यकारी प्रमुख जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है और वह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा
- राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर उप–राष्ट्रपति
- मौलिक अधिकार
- सुप्रीम कोर्ट
- राज्यों का प्रावधान
- न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता
- प्रस्तावना
- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जजों को हटाना

SAFALTA CLASS

From the USSR

- Fundamental Duties
- five yearly plan

from Australia

- Concurrent list
- Preface language
- Provisions with reference to trade, commerce & affiliation

from Japan

- Law on which the Supreme Court works

From the constitution of germany

- Suspension of Fundamental Rights during Emergency

From the USSR

- मौलिक कर्तव्य
- पंचवर्षीय योजना

ऑस्ट्रेलिया से

- समवर्ती सूची
- प्रस्तावना की भाषा
- व्यापार, वाणिज्य और मेल–जोल के संदर्भ में प्रावधान

जापान से

- कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है

जर्मनी के संविधान से

- आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

from Canada

- Union plan with strong center Distribution of power between the center and states and places. Center has remaining rights

from Ireland

- Concept of Directive Principles of State Policy (Ireland borrowed it from Spain)
- Method of election of President Nomination of members in Rajya Sabha by President

कनाडा से

- सशक्त केंद्र के साथ संघ की योजना
- केंद्र और राज्यों एवं स्थानों के बीच सत्ता का वितरण। केंद्र के पास बाकी के अधिकार

आयरलैंड से

- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा (आयरलैंड ने इसे स्पेन से उधार लिया था)
- राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में सदस्यों का नामांकन

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Salient Features of the Constitution

Same Constitution for both Union and States - India has only one Constitution for both Union and State. The constitution promotes the integration of ideals of unity and nationalism. A single constitution only empowers the Parliament of India to change the constitution. It empowers Parliament to form a new state or abolish the existing state or change its limits.

संविधान की मुख्य विशेषताएं

संघ और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान– भारत में संघ और राज्य दोनों ही के लिए एक ही संविधान है। संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों के सम्मिलन को बढ़ावा देता है। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। यह संसद को नए राज्य के गठन या मौजूदा राज्य को समाप्त करने या उसकी सीमा में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है।

Features of Indian Constitution

The Constitution is the fundamental law of any country which determines the outline and main functions of various organs of government. It also establishes a relationship between the government and the citizens of the country. Presently, the Constitution of India is 465 articles written in 25 parts and 12 schedules. However, the constitution has many features such as secular state, federalism, parliamentary government etc.

भारतीय संविधान की विशेषताएं

संविधान, किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। वर्तमान में, भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। हालांकि, संविधान की कई विशेषताएं हैं जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघवाद, संसदीय सरकार इत्यादि ।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Stiffness and Flexibility - The Constitution of India is neither rigid nor flexible. A rigid constitution means that amendments require special procedures while a flexible constitution is one in which amendments can be made easily.

कठोरता और लचीलापन– भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है जबकि लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है।

SAFALTA CLASS

Secular country - The term secular country means that all the religions present in India will get equal protection and support in the country. Furthermore, the government will treat all religions the same and provide them with equal opportunities.	**धर्मनिरपेक्ष देश–** धर्मनिरपेक्ष देश शब्द का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देशमें समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अलावा, सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Federalism in India - The Constitution of India provides for the sharing of power between the Union / Central and State Governments. It also fulfills other features of federalism such as the rigidity of the constitution, the written constitution, the two-house legislature, the independent judiciary and the supremacy of the constitution. Therefore, India is a federal nation with a unilateral bias.

भारत में संघवाद– भारत के संविधान में संघ/ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, दो सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व, को भी पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है।

SAFALTA CLASS

Unified and Independent Judiciary

- The Constitution of India provides for a unified and independent judiciary system. The Supreme Court is the highest court of India. It has authority over all courts of India. It is followed by the High Court, District Court and Lower Court. In order to protect the judiciary from any kind of effect, certain provisions have been made in the constitution such as security of tenure and prescribed conditions of service for judges.

एकीकृत और स्वतंत्र न्यापालिका–

भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जैसे कि जजों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारित शर्तें आदि।

Parliamentary form of government

Parliamentary form of government in India. India has a legislature with two houses - Lok Sabha and Rajya Sabha. In the parliamentary form of government, there is no clear distinction between the powers of legislative and executive organs. In India, the head of the government is the Prime Minister.

सरकार का संसदीय स्वरूप–

भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में दो सदनों लोकसभा और राज्य सभा, वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में, विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Single Citizenship - The Constitution of India grants single citizenship to every person in the country. No state in India can discriminate on the basis of being a resident of another state. Also, in India, any person has the right to go to any part of the country and live anywhere within the border of India except in a few places.

एकल नागरिकता– भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा, भारत में, किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और कुछ स्थानों को छोड़कर भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है।

SAFALTA CLASS

Schedules

The original Constitution of India originally had eight schedules but currently the Indian Constitution has twelve schedules. The Constitution was incorporated by the Ninth Schedule First Constitution Amendment 1951, 10th Schedule 52nd Constitution Amendment 1985, 11th Schedule 73rd Constitution Amendment 1992 and Outer Schedule 74th Constitution Amendment 1992.

अनुसूचियाँ

भारत के मूल संविधान में मूलतः आठ अनुसूचियाँ थीं परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में बारह अनुसूचियाँ हैं। संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं बाहरवीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया।

- **First Schedule –**

(Articles 1 and 4) - State and Union Territory Description.

- **Second Schedule –**

[Articles 59 (3), 65 (3), 75 (6), 97, 125,148 (3), 158 (3), 164 (5), 186 and 221]

Salaries and allowances of Chief Officers

Part-A: Salaries and allowances of President and Governor,

- **पहली अनुसूची -**

(अनुच्छेद 1 तथा 4) - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन।

- **दूसरी अनुसूची –**

[अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221]

मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते

भाग-क : राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते,

Part-B: Salaries and allowances of Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha and Vidhan Sabha, Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha and Legislative Council

Part-C: Salaries and allowances of judges of the Supreme Court,

Part-D: Salaries and allowances of Comptroller and Auditor General of India.

भाग-ख : लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के वेतन-भत्ते,

भाग-ग : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते,

भाग-घ : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वेतन-भत्ते।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Third Schedule –

[Articles 75 (4), 99, 124 (6), 148 (2), 164 (3), 188 and 219] - Affidavits of oaths for members, ministers, presidents, vice presidents, judges, etc. The formats are given.

Fourth Schedule –

[Article 4 (1), 80 (2)] - Allocation of seats in Rajya Sabha from States and Union Territories.

तीसरी अनुसूची –

[अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 और 219] - व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जानेवाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं।

चौथी अनुसूची –

[अनुच्छेद 4(1),80(2)] - राज्यसभा में स्थानों का आबंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से।

Fifth Schedule –

[Article 244 (1)] - Provisions relating to the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.

Sixth Schedule-

[Article 244 (2), 275 (1)] - Provisions regarding administration of tribal areas of the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

Seventh Schedule –

[Article 246] - List-1 Union List, List-2 State List, List-3 Concurrent List related to distribution of subjects.

पाँचवी अनुसूची –

[अनुच्छेद 244(1)] - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध।

छठी अनुसूची-

[अनुच्छेद 244(2), 275(1)] - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध।

सातवीं अनुसूची –

[अनुच्छेद 246] - विषयों के वितरण से संबंधित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची।

SAFALTA CLASS

Eighth Schedule –

[Article 344 (1), 351] - Languages - 22 languages mentioned.

Ninth Schedule –

[Article 31B] - Valid enactment of certain land reforms Acts. First added by the Constitution Amendment (1951).

Tenth Schedule –

[Article 102 (2), 191 (2)] - Added by the 52nd Constitutional Amendment (1985) on the basis of provision and change of party changes.

आठवीं अनुसूची –

[अनुच्छेद 344(1), 351] - भाषाएँ - 22 भाषाओं का उल्लेख।

नवीं अनुसूची –

[अनुच्छेद 31 ख] - कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण।पहला संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई ।

दसवीं अनुसूची –

[अनुच्छेद 102(2), 191(2)] - दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई ।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Eleventh Schedule –

[Article 243G] - This Schedule relating to Panchayati Raj / Zilla Panchayat was added to the Constitution by 73rd Constitutional Amendment (1992).

Twelfth Schedule –

It describes the municipality; This schedule was added to the Constitution by the 74th Constitutional Amendment.

ग्यारहवीं अनुसूची –

[अनुच्छेद 243 छ] - पंचायती राज/ जिला पंचायत से सम्बन्धित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई।

बारहवीं अनुसूची –

इसमे नगरपालिका का वर्णन किया गया हैं ; यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई।